(68)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. भोपाल बेंच

निग-3672 II-16 प्रकरण क्र. /निगरानी/16–17

1. रामलखन आ. अवधनारायण आयु 40 वर्ष जाति देशवाली निवासी ग्राम पुराछिंदवाड़ा, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. ....आवेदक

(14)

विरूद्ध

1. श्रीमति डालाबाई पत्नि श्री रामस्वरूप जाति देशवाली आयु 40 वर्ष कृषक ग्राम सतपोन, तहसील श्यामपुर, निवासी ग्राम पुराछिंदवाड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तह. श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. ....अनावेदक

निगरानी भू – राजस्व सहिता की धारा 50 के तहत

महोदय,

विन्रम निवेदन है कि अनावेदक द्वारा ग्राम सतपोन तह. श्यामपुर जिला सीहोर की भूमि खसरा न. 147/116/1/3 का सीमांकन कराने के दौरान अनावेदक क्र. 2 द्वारा आवेदक को सीमांकन की कोई सूचना जारी नही की गई और अवैध तरीके से सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई, जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा कब्जा प्राप्ति हेतु व्यवहारवाद प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक को सीमांकन की जानकारी हुई जानकारी प्राप्त होने के तत्काल बाद दिनॉक 06 अक्टूबर 2016 को सीमांकन प्रकरण क्र 31/अ–12/15–16 न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तह. श्यामपुर जिला सीहोर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सीमांकन आदेश दिनॉक 29/06/16 के विरूद्ध जानकारी प्राप्त होने के आधार पर समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :–

1. यह कि आवेदक ग्राम पुरा छिंदवाड़ा तह. हुजूर जिला भोपाल का कृषक है और अनावेदक ग्राम सतपोन तह. श्यामपुर जिला सीहोर का कृषक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 31/अ–12/15–16 में दिनॉक 25/05/16 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र राम दयाल आ. रामकिशन को जारी किया गया है, आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया है, इस प्रकार आवेदक को बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही की गई है।
2. यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा 09/06/2016 को सीमांकन कार्यवाही करने के ... किया गया कि अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3672-II/16 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, टप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-06-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, टप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारां 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	